न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 302/19 वाद — GCMS NO : 2019/00209
पूर्व प्रकरण संख्या : 168/09

हेमराज पिता देवा जी भोई, निवासी–भोईयो की पंचोली, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर
2. उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर)

.......प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री खेमराज डांगी अधिवक्ता वादी
श्री कल्पित जैन राजकीय अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक :08.05.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है राजस्व ग्राम कमलोद डूंगर, तहसील गिर्वा उदयपुर में आराजी संख्या 254 रकबा 0.0500 हैक्टयर, आराजी संख्या 255 रकबा 0.0900 हैक्टयर व आराजी संख्या 317/257 रकबा 0.0500 हैक्टयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.1900 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 1 मी. है। साबिक आराजी नम्बर 1 मी. में से रकबा 18 बिस्वा वादी को तारीख 20.05.1974 को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से उप जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा आवंटित की गई है व कब्जा वादी को सौपा गया, तब से आवंटित भूमि पर वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। उक्त आवंटन की पालना में वादी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरण 106 खोला जाकर तारीख 15.05.1997 को स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत आवंटित भूमि के आराजी नम्बर 1/116 रकबा 18 बिस्वा डाले गये है। वादी ने इस पर काफी खर्च कर आबादान की है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात हाल पैमाइश में वादी को बिना सूचना दिए व बिना सेटलमेंट कर्मचारी द्वारा बिना किसी अधिकार व बिना किसी आदेश के वनखण्ड ... रेन्ज उदयपुर के नाम दर्ज कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

दी है, जो गलत है। इस गलत इन्दाज से वादी के हक व अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उक्त आराजीयात वादी के हक व अधिपत्य की है। वनखण्ड कमलोदिया रेन्ज उदयपुर के नाम गलत दर्ज की गई है तथा वन विभाग का कोई कब्जा भी नहीं है। वादी ने तहसीलदार गिर्वा को उक्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज कराने हेतु कई बार कहा लेकिन कोई जवाब नहीं दिया व कानूनी कार्यवाही हेतु कहते रहे है, जिस पर वादी ने तारीख 01.01.2009 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अपने अधिवक्ता के जरिये हस्ब धारा 80 जा.दी का नोटिस दिलाया जो प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को प्राप्त हो गया है। वाद कारण दिनांक 05.12.2008 को जब कि कि वन विभाग के कर्मचारियों ने वादी को कब्जा हटाने की धमकी दी व दिनांक 01.01.2009 को नोटिस देने के बावजूद भी प्रतिवादीगण ने उक्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज नहीं की, पैदा हुआ। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त आराजीयात का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा फरमाई जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वन खण्ड कमलोदिया रेन्ज की है जिस पर वादी का कोई हक नहीं बनता है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाब पेश कर कथन किया गया कि आराजी संख्या 254, 255, 317/257 किता 3 रकबा 0.1900 है, जिसके साबिक आराजी नम्बर 1 मी. है, वनखण्ड कमलोदिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। कब्जा भी वन विभाग का है। राजस्व रेकार्ड में एक बार वन विभाग के नाम दर्ज होने पर उक्त भूमि को उपयोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयनुसार केन्द्र सरकार की स्वीकृति के गैरवानिकी के रूप में नहीं किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में दावे, जवाबदावे के आधार पर दिनांक 16.04.14 को निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया वादी को आवंटित वादग्रस्त भूमि हाल भू–प्रबन्ध के दौरान बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी संख्या 2 वनखण्ड के नाम से दर्ज होने से वादी वादग्रस्त भूमि की घोषणा अपने नाम करा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

......वादी

2. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा होने से कब्जे के अभाव में वादीघोषणा कराने का अधिकारी नहीं है ?

.....प्रतिवादी संख्या 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादग्रस्त भूमि वनखण्ड कमलोदिया की है जिस पर वादी का कोई हक एवं अधिकार नहीं है ?

......प्रतिवादी संख्या 1

4. आया वादग्रस्त भूमि राजस्थान राज्य पत्र प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 03.07.1942 अनुसार वन भूमि घोषित की गई तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है जो सही है ?

.....प्रतिवादी संख्या 2

प्रकरण में वादी अधिक्ता द्वारा साक्ष्य में PW1 हेमराज पिता देवा भोई एवं PW2 अम्बालाल पिता नारायणलाल मेनारिया का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। राजस्व ग्राम कमलोद पटवार मण्डल मटून की जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 प्रदर्श–1 है, ग्राम कमलोद डूंगर की नामान्तरण पंजिका प्रदर्श–2 है, मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग, ग्राम कमलोद डूंगर, तहसील–गिर्वा प्रदर्श–3 है, नकल नोटिस मय रजिस्र्ड एडी रसीद प्रदर्श–4 है। प्रतिवादी राजकीय अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। PW1 हेमराज पिता देवा भोई द्वारा अपने ब्यानों में कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि मेरे नाम पर नहीं है, किन्तु कब्जा मेरा है। वन विभाग का कब्जा नहीं है। वादग्रस्त भूमि शुरू से वन विभाग के खाते में नहीं रही है, बल्कि मेरे का आवंटन होकर मेरे खाते हुई है। जमाबन्दी में वादग्रस्त भूमि किस्म मगरी दर्ज है किन्तु मौके पर काबिज काश्त है। वादी अधिवक्ता द्वारा अन्य ओर कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी साक्ष्य बंद कर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त आराजीयात दिनांक 20.05.1974 को आवंटन सलाहकार समिति की सहमति से उप जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा आवंटित की जाकर कब्जा वादी को सौपा गया, तब से आवंटित भूमि पर वादी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। उक्त आवंटन की पालना में वादी के नाम गैर खातेदारी का नामान्तरण 106 खोला जाकर तारीख 15.05.1997 को स्वीकृत किया गया है जिसके अन्तर्गत आवंटित भूमि के आराजी नम्बर 1/116 रकबा 18 बिस्वा डाले गये किन्तु उक्त वादग्रस्त आराजीयात हाल पैमाइश में सेटलमेण्ट कर्मचारी द्वारा बिना किसी अधिकार व बिना किसी आदेश के वनखण्ड कमलोदिया रेन्ज उदयपुर के नाम दर्ज कर दी है। जिससे वादी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने का अधिकारी है। दौराने बहस प्रतिवादी राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि वन खण्ड कमलोदिया रेन्ज की है। वादी का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नहीं होने से वादी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में तनकीवार विवेचन निम्नानुसार हैः–

1. आया वादी को आवंटित वादग्रस्त भूमि हाल भू–प्रबन्ध के दौरान बिना किसी अधिकार के प्रतिवादी संख्या 2 वनखण्ड के नाम से दर्ज होने से वादी वादग्रस्त भूमि की घोषणा अपने नाम करा प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ?

......वादी

- तनकी सख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादी का है। उक्त तनकी वादीगण के जिम्मे होने से वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम कमलोद पटवार मण्डर मटून की जमाबंदी संवत 2061 से 2064 प्रदर्श–1 पेश की गई। जिसके अनुसार खाता संख्या नया 82 में आराजी संख्या 251, 254, 255, 317/257 वनखण्ड कलोदिया रेन्ज के नाम दर्ज रेकार्ड है, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 पेश किया गया है। प्रदर्शित दस्तावेजात में कही पर भी वादी के नाम वादग्रस्त आराजीयात का अंकन नहीं है। वादी द्वारा नामान्तरण पंजीका प्रदर्श–2 की प्रमाणित प्रति पेश की गई है, जिसमें वादी के पक्ष में 18 बिस्वा भूमि का आवंटन होकर खाते दर्ज करने का साबित होता है, किन्तु उक्त अंकन किस संवत् की जमाबन्दी से प्रारम्भ हुआ यह स्पष्ट नहीं होता है। वादीगण द्वारा श्रंखला बद्ध प्रमाणित दस्तावेज (जमाबन्दीयां) प्रस्तुत नहीं किये जाने से उक्त तनकी साबित नही होती है एवम् उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 03.07.1942 द्वारा वन खण्ड कामलोदिया के नाम दर्ज हुई लेकिन तत्कालीन समय में राज्य सरकार द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद नही होने के कारण बिलानाम सरकार ही दर्ज रह गई जिसको बाद में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुनः वनखण्ड कमलोदिया के नाम दर्ज कर दी गई। वर्तमान में वन खण्ड कमलोदिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होने के कारण एवं वन विभाग की सीमा मे होने के कारण वादी के नाम खातेदारी घोषणा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। जिससे यह तनकी वादी के विरूद्ध प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

2. आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 का कब्जा होने से कब्जे के अभाव में वादी घोषणा कराने का अधिकारी नहीं है ?

....प्रतिवादी सं0 2

- तनकी सख्या 2 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादीगण का है। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में वनखण्ड कलोदिया रेन्ज के नाम दर्ज रेकार्ड है। वादी द्वारा भी अपने दावे व ब्यानों में स्वीकारा गया है कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है। वादी द्वारा अपने वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जे के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट प्रमाण दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं कराया गया है। उक्त विवेचन के आधार पर यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

3. आया वादग्रस्त भूमि वनखण्ड कमलोदिया की है जिस पर वादी का कोई हक एवं अधिकार नहीं है ?

....प्रतिवादी सं0 1

- उक्त तनकी को साबित कराने का दयित्व प्रतिवादीगण को है। चूकि तनकी संख्या 2 को प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेजो के आधार पर साबित कराने अथवा वादी द्वारा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नही करने से तनकी संख्या 3 भी प्रतिवादीगण के पक्ष में तय की जाती

4. आया वादग्रस्त भूमि राजस्थान राज्य पत्र प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 03.07.1942 अनुसार वन भूमि घोषित की गई तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है जो सही है ?

.....प्रतिवादी संख्या 2

- तनकी संख्या 4 को साबित कराने का दायित्व प्रतिवादी का होने से प्रतिवादी द्वारा ग्राम कमलोद मटून की नामान्तरण पंजीका प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजीत आराजी संख्या 254, 255, 317/257 राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज होना प्रमाणित होती है। प्रतिवादी द्वारा अपना पक्ष ठोस दस्तावेजों के आधार पर साबित कराने से तनकी संख्या 4 प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के आधार पर किये गए उक्त विवेचन अनुसार न्यायालय का मत है कि वादीगण को, वादग्रस्त भूमि में बनने वाले सही हिस्से की घोषणा कराने हेतु जिसमे स्पष्ट हिस्सा अंकित हो, से लगातार पश्चातवर्ती जमाबन्दी जहां राजस्व रेकार्ड में अंकन गलत दर्ज हुआ, तक श्रखलाबद्ध जमाबन्दीयां प्रस्तुत करनी चाहिये थी, किन्तु वादीगण द्वारा ऐसा नहीं किया गया जिससे श्रंखलाबद्ध दस्तावेज के अभाव में वादीगण का वाद साबित नहीं होता है। ना ही वादी द्वारा अपना वाद ठोस दस्तावेजों के आधार पर साबित नहीं कराया गया है। तनकी वार विवेचन के अनुसार तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध तथा तनकी संख्या 2, 3 व 4 प्रतिवादीगण ठोस आधारों पर साबित कराने में सफल हुए है।

न्यायालय का विन्रम अभिमत है कि विवादित आराजीयात मौजा कमलोद डुंगर, तहसील गिर्वा में खसरा नम्बर 254 रकबा 0.0500 हैक्टयर, खसरा नम्बर 255 रकबा 0.0900 हैक्टयर व 317/257 रकबा 0.0500 हैक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.1900 हैक्टयर वर्तमान में वनखण्ड कमलोदिया रेज के दर्ज रेकार्ड है। वन विभाग अनुसार कब्जा वर्तमान में वन विभाग का है जिसका गैर–वानिकी में उपयोग नहीं किया गया राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन के द्वारा [illegible] 03.07.1942 को यह यह भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई। न्यायालय का मत है कि उक्त विवादित भूमि राज्य

Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

सरकार के गजट नोटिफिकेशन द्वारा वन खण्ड कमलोदिया के नाम दर्ज हुई। लेकिन तत्कालीन समय में राजस्व कार्मिको द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण बिलानाम सरकार दर्ज हो गई। जिसका आवंटन सलाहकार समिति द्वारा वादी के नाम दर्ज हो गई, लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुन वन–विभाग के नाम दर्ज की गई, वर्तमान में वन–विभाग की सीमा में यह भूमि स्थित है। अतः उक्त भूमि को वादी के नाम दर्ज किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादीगण का वाद ठोस आधारो पर साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रमेश सीरवी पुनाड़िया आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संख्या : 302 / 19

अनवान : हेमराज बनाम सराकर व अन्य

निर्णय : वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 302 / 19 सन 2019 अनवान हेमराज पिता देवा जी भोई, निवासी–भोईयो की पंचोली, तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर (2) उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री खेमराज डांगी अधिवक्ता वादी एवं श्री कल्पित जैन राजकीय अधिक्ता प्रतिवादीगण की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण का वाद साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया। गया। पर्चा डिक्री जारी हो।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि ....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....माह ....सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.05.29 17:02:18 IST
Reason: SelfAttested